रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 546] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 18, 2019/भाद्र 27, 1941
No. 546] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 18, 2019/BHADRA 27, 1941

indiacode

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2019

सा.का.नि. 669(अ).—केंद्रीय सरकार, धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 11क और धारा 12कक के साथ पठित धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) नियम, 2005 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) चौथा संशोधन नियम, 2019 है ।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे ।

2. धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) नियम, 2005 (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल नियम कहा गया है), के नियम 2 के उप-नियम (1) में, खंड (ककच) के पश्चात निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

'(ककछ) "निक्षेपागार रसीद" से अभिप्रेत विदेशी मुद्रा में अंकित मूल्य लिखत से है, जो चाहे किसी अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो या नहीं, जो अनुज्ञेय अधिकारिता में विदेशी निक्षेपागार द्वारा उस विदेशी निक्षेपागार को निर्गमित या अंतरित पात्र प्रतिभूतियों के प्रति निर्गमित की गई हो और घरेलू अभिरक्षक के पास जमा किया गया हो एवं इसमें कंपनी अधिनियम, 2013(2013 का 18) में यथा परिभाषित 'वैश्विक निक्षेपागार रसीद' सम्मिलित है;'।

3. मूल नियम के नियम 9 में: -

(i) उप-नियम (1) के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह कि जहां कोई ग्राहक भारत में निगमित किसी कंपनी के केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित अधिकारिताओं में सूचीबद्ध या निर्गमित निक्षेपागार रसीदों या साधारण शेयरों का अभिदाय या उसके साथ व्यवहार करता है, और यह उस हिताधिकारी स्वामी की ओर से कार्य करता है जो ऐसी अधिकारिता का निवासी है तो ऐसे हिताधिकारी स्वामी का

अवधारण, पहचान और सत्यापन ऐसी अधिकारिता के मानकों के अनुसार होगा और इन नियमों के उप-नियमों (3) से (9) की कोई बात ऐसे हिताधिकारी स्वामी की सम्यक- तत्परता के लिए लागू नहीं होगी।"।

स्पष्टीकरण- इस परंतुक के प्रयोजनों के लिए, "साधारण शेयर" अभिव्यक्ति से किसी कंपनी की साधारण शेयर पूंजी में कोई शेयर अभिप्रेत है और साधारण शेयर पूंजी का वही अर्थ होगा जो इसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 43 के स्पष्टीकरण में दिया गया है।";

(ii) उप-नियम (3) में, खंड (च) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(च) जहां नियंत्रक हित का स्वामी या ग्राहक भारतीय स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध एक अस्तित्व है या केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित अधिकारिताओं में निवासी एक अस्तित्व है और केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसी अधिकारिताओं में स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध है या यह ऐसे सूचीबद्ध अस्तित्वों का एक समनुषंगी है, वहां ऐसे अस्तित्वों के हिताधिकारी स्वामी या किन्हीं शेयर धारकों की पहचान और पहचान को सत्यापित करना आवश्यक नहीं है।"

[फा. सं. एम.11014/1/2017-ईएस सेल-डीओआर]

ए. के. घड़ाइ, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 444(अ), तारीख 1 जुलाई, 2005 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इनमें अंतिम संशोधन सा.का.नि. 582(अ), तारीख 19 अगस्त, 2019 द्वारा किया गया था ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th September, 2019

G.S.R. 669(E).—In exercise of the powers conferred by section 73 read with section 11A and section 12AA of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005, namely:—

1. (1) These rules may be called the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Fourth Amendment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 2 in sub-rule (1), after clause (aaf), the following clause shall be inserted, namely:-

'(aag) "Depository Receipt" means a foreign currency denominated instrument, whether listed on an international exchange or not, issued by a foreign depository in a permissible jurisdiction on the back of eligible securities issued or transferred to that foreign depository and deposited with a domestic custodian and includes 'global depository receipt' as defined in the Companies Act, 2013 (18 of 2013);'.

3. In the principal rules, in rule 9:--

(i) after sub-rule (1), the following shall be inserted, namely:--

"Provided that where a client is subscribing or dealing with depository receipts or equity shares, issued or listed in jurisdictions notified by the Central Government, of a company incorporated in India, and it is acting on behalf of a beneficial owner who is a resident of such jurisdiction, the determination, identification and verification of such beneficial owner, shall be as per the norms of such jurisdiction and nothing in the sub-rules (3) to (9) of these rules shall be applicable for due-diligence of such beneficial owner.".

Explanation–For the purposes of this proviso, the expression "equity share" means a share in the equity share capital of a company and equity share capital shall have the same meaning as assigned to it in the Explanation to section 43 of the Companies Act, 2013.";

(ii) in sub-rule (3), for clause (f), the following clause shall be substituted, namely;-

"(f) where the client or the owner of the controlling interest is an entity listed on a stock exchange in India, or it is an entity resident in jurisdictions notified by the Central Government and listed on stock exchanges in such jurisdictions notified by the Central Government, or it is a subsidiary of such listed entities, it is not necessary to identify and verify the identity of any shareholder or beneficial owner of such entities."

[F. No. M.11014/1/2017-ES Cell-DOR]

A. K. GHARAI, Under Secy.

Note : The principal rules were published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* numbers G.S.R. 444(E), dated the 1st July, 2005 and were last amended *vide* G.S.R. 582(E) dated 19th August, 2019.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.09.18 19:26:26 +05'30'